2010/00067

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 127/2012 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये ज्ञान प्रकाश शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री भैरू राम यादव उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर ।

2.श्री राधेश्याम कुमावत पुत्र श्री घासीराम कुमावत मालिक मैसर्स कुमावत फ्लोर मिल भट्टों की गली तहसील आमेर जिला जयपुर ।

3.श्री गौरीशंकर यादव पुत्र श्री सोहन लाल यादव निवासी डगडों की ढाणी देवगुडा, आमेर वाहन चालक महेन्द्रा पिकअप नम्बअर आरजे 14–जीए–9314.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले 12.92.750 क्विंटल गेहूं मय बारदाना, 2640 लीटर नीला करोसीन एवं महेन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 14–जीए–9314 को राजसात करने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर

उपस्थित

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री के॰ डी॰ शर्मा एव सी एस मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर ने आदेश दिनांक 11.02.2012 से अपील आंशिक स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.5.2011 को अपास्त करते हुये प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत राज्यादेशो व नजीरों तथा रिकार्ड का अवलोकन करते हुये गुणावगुण पर पुनः जब्त शुदा माल गेहूं व केरोसीन का निस्तारण करने के आदेश दिये है।
2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री के॰डी॰शर्मा एवं श्री सी॰ एस॰ मिश्रा ने उपस्थित है । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

जिला कलेक्टर जयपुर

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यां को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 31.05.2010 को मैसर्स कुमावत फ्लोर मिल भट्टों की गली तहसील आमेर पर मौके पर परिसर में एक महेन्द्रा पिकअप नम्बर आरजे 14–जीए–9314 खडी पाई गई जिसमें भारतीय खाद्य्य निगम मार्का कट्टे फ्लोर मिल पर उतारते रंगे हाथों पकडा गया है। कट्टे जांच 42 कट्टे फ्लोर मिल में उतारे जा चुके थे तथा 8 कट्टे पिकअप में रखे हुये थे । फ्लोर मिल मालिक श्री राधेश्याम कुमावत व पिकअप चालक श्री गौरी शंकर यादव भी मौके पर उपस्थित

थे, जिन्होंने उक्त कट्टे भारतीय खाद्य निगम मार्का ग्राम पंचायत जालसू के राशन डीलर श्री भैरूराम यादव से खरीदना बताया । यह गेहूं श्रीराम कम्प्युटराईज धर्म कांटा से तुलवा कर फ्लोर मिल पर लाया गया था। वकांटा पर्ची के अनुसार उक्त 50 कट्टों में कुल वजन 2920 किलोग्राम है। इस गेहूं को डीलर श्री भैरूराम यादव ने मिल मालिक श्री राधेश्याम कुमावत का 1300/–रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 38000/– रूपये अक्षरे अडतीस हजार रूपये देना बताया है तथा गौरीशंकर पिकअप चालक ने डीलर की दुकान से गेंहूं को फ्लोर मिल तक पहुंचाने का 250/–किराया भाडा तय किया गया है। इस प्रकार राशन डीलर श्री भैरूराम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुदानिक दर का गेहूं निजी लाभार्थ फ्लोर मिल को बेचत हुये पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर वास्ते सबूत 50 कट्टे गेहूं कुल वजन 29 क्विंटल 50 किलोग्राम मय बारदाना को कब्जे राज लिया गया। दिनांक 01.06.2010 को अप्रार्थी भैरूराम यादव राशन डीलर ग्राम पंचायत जालसू की उचित मूल्य दुकान की जांच की गई। दौराने जांच भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 2640 लीटर नीला करोसीन तेल 12 ड्रमों में रख हुआ पाया गया। जिसका वितरण रजिस्टर मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया । डीलर की पास की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 169 कट्टे गेहूं रखा पाया गया। जिसको तुलवाने पर 83.72.750 क्विंटल गेहूं होना पाया गया । डीलर से इस बाबत रिकार्ड मांगने पर केवल बीपीएल व अन्त्योदय योजना के स्टॉक व वितरण रजिस्टर ही प्रस्तुत किये गये । शेष योजनाओं के गेहूं के रजिस्टर पेश नहीं किये गये। डीलर ने प्राधिकार पत्र में दर्ज व्यापार स्थल के अतिरिक्त अन्य दुकान पर गेहूं रख कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 का उल्लंघन किया है। जब्त शुदा गेहूं, केरोसीन व पिकअप को राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना चौमू में दिनांक 01.06.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 253 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तगर्त दर्ज कराई गई थीं जिसमें बाद अन्वेषण पुलिस ने अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां अभियोग पत्र पेश किया । तत्पश्चात उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस पी ई केसेज) जयपुर जिला जयपुर के यहां अन्तरित होने पर मान्य न्यायालय ने दिनांक 14.05.2018 को सभी अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त करते हुये प्रकरण मे मुलजिम राधेश्याम से जब्त 50 कट्टे गेहूं को बाद गुजरने मियाद अपील मुल्जमान राधेश्याम को वापिस लौटाने एवं जब्त शुदा स्टॉक रजिस्टर व अन्य रजिस्टर एवं जब्त 169 कट्टे गेहूं एवं 2640 लीटर नीला करोसीन मुल्जिम भैरूलाल को बाद गुजरने मियाद अपील या अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार लौटाने के आदेश दिये है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) 3 (ए) में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिहरण का आदेश दिया गया है संस्थित किसी अभियोजन में सम्बंधित व्यक्ति दोष मुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसका अधिकरण किया गया है संदत्त किए जावेगे। उपरोक्त सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 1995 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (राज) पेज 288 पैरा 9 मैसर्स धेधिया ट्रेडर्स बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान में विनिश्चित किया गया है कि

जिला कलक्टर
जयपुर

" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955–धारा 6 (क) व 6 (ग) तथा दाण्डिक अभियोजन–शासन द्वारा जब्ती का आदेश–दोष मुक्ति पर जब्त माल को वापिस लौटाना अथवा उसका मूल्य चुकाना–अभिनिर्धारित, जब व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है तो जब्ती का आदेश स्वतः' समाप्त हो जाता है–संबधित व्यक्ति को जब्त किया गया माल अथ्वा उसका मूल्य देना होगा।" (2) 1996 (2) आर एस डब्लू पेज 682 मैसर्स संदीप इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरह " आवश्यक वस्तु अधिनियम–धारा 3, 6 (क), 6 (ग), व 7 अधिग्रहण करना वस्तुओं का–पुरोभाव्य शर्त यह है कि किसी विधिक आदेश का उल्लंघन होना चाहिये–धारा 3 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया था–दांडिक विचारण मे पक्षकार का उन्मोचन हो गया–अधिग्रहण की कार्यवाही और दाडिक कार्यवाही तकनीकी दृष्टी से एक दूसरे से स्वतंत्र होती है–परन्तु भिन्न भिन्न निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा–दाण्डिक मामले में दोषमुक्त को ध्यान मे रखने पर अधिग्रहण का आदेश जडमूल से लुप्त (प्रभावहीन) हो जाता है। अप्रार्थीगण अभिग्रहीत वस्तुओं की विक्रीत राशि पर अधिग्रहण की तिथि से 10 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है जैसा कि 2005(1) क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (राज) 646 पैरा 6 सरकार बनाम राधेश्याम में विनिश्ति किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6 (ए) व 6 सी (2) राजसात की गई शक्कर के विक्रय मूल्य पर ब्याज दिलाना दाण्डिक मामले में अभियुक्तगण दोष मुक्त हुआ–जिला मजिस्ट्रेट ने केवल शक्कर का मूल्य लौटाने का आदेश दिया–शेषन न्यायाधीश ने आदेश उपान्तरित किया और निर्णत किया कि रेस्पोडेट्स धारा 6 सी (2) के अन्तर्गत ब्याज के हकदार है। उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विचाररधीन प्रकरण से उन्मोचित हो चुके है इसलिए अधिनिमय 1955 की धारा 6 (क) व 3 (सी) के अन्तर्गत अभिगृहित गेहूं व केरोसीन तेल की विक्रतशुदा राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त प्रकरण का निस्तारण कर जब्त शुदा गेहूं व केरोसीन तेल या उससे विक्रीत राशि मय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अविलम्ब अप्रार्थीगण को दिलाने तथा जो वाहन अन्तरिम जमानत पर है उसे मुक्त करने करने के आदेश फरमावे।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. मामले में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एस पी ई केसेज) जयपुर जिला जयपुर ने आदेश दिनांक 14.05.2018 को अप्रार्थीगण को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध से उनमोचित किया जा चुका है। प्रकरण में अप्रार्थी राधेश्याम से जब्त 50 कट्टे गेहूं को बाद गुजरने मियाद अपील मुलजिम राधेश्याम को लौटाने एवं जब्त शुदा स्टॉक रजिस्टर एव अन्य रजिस्टर एवं जब्त 169 कट्टे गेहूं एवं 2640 लीटर नीला करोसीन मुल्जिम भैरूराम यादव को बाद गुजरने मियाद अपील या अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार लौटा दिये जाने के आदेश पारित किया गया है। विभागीय पैरोकार ने प्रकरण में किसी प्रकार की अपील नहीं किया जाना अवगत कराया गया है । इसलिए जब्त माल लौटाना वाजिब समझते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा 50 कट्टे वजनी 2920 किलोग्राम गेहूं या उससे विक्रीत राशि राधेश्याम कुमावत को एवं जब्त शुदा स्टॉक रजिस्टर व अन्य रजिस्टर व जब्तशुदा 169 कट्टे गेहूं एवं 2640 नीटर नीला करोसीन या उससे विक्रीत राशि अप्रार्थी भैरूराम

यादव को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्त वाहन पिकअप नम्बर आरजे 14 जीए 9314 के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर